न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/ त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या–39, शाहजहाँपुर।

रिजवान हसन आदि बनाम मुख्तार हसन आदि
मूलवाद संख्या– 612/2022

दिनांक– 21.12.2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पत्रावली की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित है। प्रार्थनापत्र 19 ग पर वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रार्थनापत्र 19 ग वादीगण द्वारा दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रश्नगत मूलवाद में वादीगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से कुछ प्रपत्रों पर प्रदर्श डालना चाहते है। मूलवाद में प्रदर्श डाला जाना न्यायसंगत होगा। वादीगण द्वारा याचना की गयी है कि प्रार्थनापत्र में अंकित प्रपत्रों पर प्रदर्श डालने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण द्वारा प्रश्नगत प्रार्थनापत्र 19 ग के माध्यम से नोटिस कागज संख्या 11 ग, खसरा कागज संख्या 8 ग व खतौनी कागज संख्या 10 ग पर प्रदर्श डालने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त नोटिस, खसरा व खतौनी पर न्यायालय द्वारा कागज संख्या 11 ग, 8 ग व 10 ग पूर्व में ही डाला जा चुका है तथा उक्त प्रपत्रों को साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर रक्षित किया जा चुका है। ऐसे में पुनः उपरोक्त प्रापत्रों पर प्रदर्श डाले जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत प्रार्थनापत्र 19 ग स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 19 ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 17.01.2025 को पेश हो।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र 19 ग स्वीकार किये जाने से पूर्व ही नोटिस कागज संख्या 11 ग पर प्रदर्श–1, खसरा कागज संख्या 8 ग पर प्रदर्श–2 तथा खतौनी कागज संख्या 10 ग पर प्रदर्श–3/1 व 3/4 डाला जा चुका है। ऐसे में वादी अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण नियत तिथि तक प्रस्तुत करे कि न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त प्रपत्रों पर प्रदर्श कैसे डाला गया।

सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय,
कक्ष संख्या–39, शाहजहाँपुर।
(J.O. Code- UP3793)

Digitally signed by SAURABHI PATHAK
Date: 2025.01.15 11:22:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court